



## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- झालावाड़ में सहायक अधीक्षक, डाकघर 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 13 दिसम्बर। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये कन्हैयालाल कोली सहायक अधीक्षक, डाकघर, झालावाड़ को परिवादी से 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान प्रतिकूल टिप्पणी का डर दिखाकर विभागीय कार्यवाही नहीं करने की एवज में कन्हैयालाल कोली सहायक अधीक्षक, डाकघर, झालावाड़ द्वारा 10 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी झालावाड़ इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानीशंकर मीणा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कन्हैयालाल कोली पुत्र श्री पूरणमल निवासी 11-बी, 39 तिलक नगर, थाना भीमगंज, जिला भीलवाड़ा हाल सहायक अधीक्षक, डाकघर, झालावाड़ को परिवादी से 8 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान ही आरोपी द्वारा परिवादी से 2 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।